



INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp



Certificate No.	UP02228070230769V
Certificate Issued Date	31-Aug-2023 03:03 PM
Account Reference	NO.WMPA/C/DS/upt1458504/MAU SADAR/10 MAU
Unique Doc. Reference	DAJBIN_UFUP145850400319530200167
Purchased By	MANAGER, LALSAHAR OF PHARMACY TAKTEWA RAMPUJ MAU
Description of Document	Article 4 Affidavit
Type/Category Description	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	MANAGER, LALSAHAR OF PHARMACY TAKTEWA RAMPUJ MAU
First Party	MANAGER, LALSAHAR OF PHARMACY TAKTEWA RAMPUJ MAU
Second Party	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	MANAGER, LALSAHAR OF PHARMACY TAKTEWA RAMPUJ MAU
Stamp Duty Amount(Rs.)	100 (One Hundred only)

SIGNATURE
 ACC NAME-BIPENDRA KUMAR GUPTA
 ACC CODE-up1458504
 ACC Add-Katuvapura Poorab
 Teh-Sadar, District-Mau
 LIC. No-78, Mob. No-9415843771



Please write in English below this line

NOTARY

(प्रारूप-“अ”)

सत्र 2023-24 में नवरथापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थाओं की सोसाइटी/द्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी शपथ-पत्र का प्रारूप

हम सूर्यमान यादव (अध्यक्ष) एवं श्रीमती चांदमती (सचिव) क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव लालसर कृषक जनकल्याण द्रस्ट, टकटेउवा रामपुर, जनपद-मऊ (उ0प्र0) शपथ पूर्वक निम्नवत घ्यान करते हैं—

1. यहाँ हमारी लालसर कृषक जनकल्याण द्रस्ट, टकटेउवा रामपुर, जनपद-मऊ (उ0प्र0) द्वारा लालसर कालस, ऑफ फार्मेसी, टकटेउवा रामपुर, जनपद-मऊ (उ0प्र0) नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की रथ्याधिकारी सत्र-2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यहाँ हमारी लालसर कृषक जनकल्याण द्रस्ट, टकटेउवा रामपुर, जनपद-मऊ (उ0प्र0) में गाटा संख्या-86, 382, 393 कुल तीन गाटा कुल रकमा 2.5160 हेक्टेयर में से 0.812 हेक्टेयर भूमि है।
3. यहाँ कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद यिसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है और भूमि विवाद रहित है।
4. यहाँ कि उपरोक्त भूमि पर द्रस्ट के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या-86, 382, 393 कुल तीन गाटा कुल रकमा 2.5160 हेक्टेयर में से 0.812 हेक्टेयर भूमि पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी

Digitally signed by
Bipendra Kumar Gupta
Date: 31/08/2023
Reference No.: 145850400319530200167
Location: Lucknow, UP, India

- संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव द्रष्टव्य की बैठक दिनांक 22.03.2022 द्वारा पारित किया गया है।
5. यहकि उपरोक्त भूमि पर ही प्रशंसनगत डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।
 6. यहकि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर द्रष्टव्य के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
 7. यहकि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मेसी कारब्निसल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।
 8. यहकि इस संस्था में फार्मेसी कारब्निसल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
 9. यहकि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मेसी कारब्निसल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, च००३० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त फिर्सी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आईटीआई आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।
 10. यहकि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास, रुम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी कारब्निसल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।
 11. यहकि संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तीनाती सोसाइटी/द्रष्टव्य द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।
 12. यहकि शासन/परिषद द्वारा निर्गत गिरेशों/आदेशों का भलीभांति पालन करेंगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।
 13. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

ह० सचिव



ह० अध्यक्ष

